

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० -135/2017

हरी सिंह

बनाम
निर्णय

निर्णय दिनांक

जीवण सिंह आदि

दिनांक 26.10.17

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.10.2017 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्र क्रमांक/भू0अ0/17/1673 दिनांक 23.10.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रूपये
1	हरि सिंह पु० जीवण सिंह जाति राजपुत सा० देह खातेदार	मण्डावरा	1529/1	0.0475	बा० 1	0.39
			1531/1	0.0975	चा० 1	2.29
		किता	2	0.1450		2.68
2	जीवण सिंह पु० प्रभुदान सिंह राजेन्द्र सिंह पु० जीवण सिंह सुमन, कुसुम, सीमा, दवीकल हेमा कवर पुत्रियां जीवण सिंह जाति रापूत सा० देह खातेदार	मण्डावरा	1522	0.4200	बा० ए	3.11
			1531	0.2625	चा०	6.16
			1529	0.3325	बा० 1	1.96
		किता	3	1.0150		11.23

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड उदयपुरवाटी अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 26.10.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड उदयपुरवाटी अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ० २ रूल ६-७ जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :- श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० -135/2017

हरि सिंह

बनाम

निर्णय

निर्णय दिनांक: 26.10.17

जीवण सिंह आदि

दिनांक: 26.10.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-.....

..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर , रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रूपये
1	हरि सिंह पु० जीवण सिंह जाति राजपुत सा० देह खातेदार	मण्डावरा	1529/1	0.0475	बा० 1	0.39
			1531/1	0.0975	चा० 1	2.29
		किता	2	0.1450		2.68
2	जीवण सिंह पु० प्रभुदान सिंह राजेन्द्र सिंह पु० जीवण सिंह सुमन , कुसुम , सीमा , ट्वीकंल हेमा कवर पुत्रियां जीवण सिंह जाति रापूत सा० देह खातेदार	मण्डावरा	1522	0.4200	बा० ए	3.11
			1531	0.2625	चा०	6.16
			1529	0.3325	बा० 1	1.96
		किता	3	1.0150		11.23

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदपुरववाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे।

निज..-.....-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....-..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 10 सन 2017 को जारी की गई।

26/10/17
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी